सं.ए. 20011/13/2018-हिंदी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3
दिनांक/Date: 23 दिसम्बर, 2021

परिपत्र/CIRCULAR

विषय : भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निदेशालय का 05 अक्टूबर 2021 को किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के सभी अनुभागों के अनुभाग अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्रालय के राजभाषा अधिकारियों द्वारा निदेशालय का राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया गया था। इस संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 29 नवम्बर 2021 के पत्र संख्या 11014/01/2020-रा.भा. (निरीक्षण) के अंतर्गत निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

2. उक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट पर निदेशालय के अनुभाग अधिकारियों द्वारा निम्लिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

(क) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक लक्ष्य के अनुसार कार्यालय में फाइलों पर लिखी जाने वाली हिंदी टिप्पणियों का लक्ष्य 75 प्रतिशत निर्धारित है। वर्तमान में कार्यालय द्वारा (पिछली तिमाही में) 73 प्रतिशत हिंदी टिप्पणियां लिखी गयी हैं। कृपया सभी अनुभाग अधिकारी लक्ष्य को बरकरार रखने और इसे बढ़ाने हेतु कारगर प्रयास करना सुनिश्चित करें।

(ख) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक लक्ष्य के अनुसार कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले हिंदी पत्राचार का लक्ष्य **'क'** क्षेत्र से **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत है और **'क'** क्षेत्र से **'ग'** क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत है। निदेशालय का हिंदी पत्राचार प्रत्येक तिमाही में बढ़ रहा है, किंतु लक्ष्य से बहुत कम है। सभी अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक पत्र हिंदी में भेजे जाने हेतु निरंतर एवं ठोस कार्रवाई करने का प्रयास करें ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके।

(ग) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, उन्हें हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित करने हेतु हिंदी अनुभाग को उचित माध्यम से सूचित करें।

(घ) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी किए जाने वाले कागजातों को द्विभाषी रूप से ही जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2/-

(ङ) उपस्थिति पंजिका सहित अनुभाग में उपयोग किए जाने वाले सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में ही किए जाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाए।

3. यह निदेशक, स.नि.पु.बे. के अनुमोदन से जारी किया गया है।

23.12.2021
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि.

1. समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के सभी अनुभाग अधिकारी ।
2. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी गांव, नई दिल्ली ।
3. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
4. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के स्टेशन अधीक्षक- विभाग के सरकारी वेबसाइट के माध्यम से।
5. सहायक निदेशक (सूचना और प्रोद्योगिकी) - सभी संबंधितों और अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों को सूचित करने के आशय से, कृपया विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित:-

3. निदेशक के प्रधान निजी सचिव : सादर सूचनार्थ ।
4. निदेशक (राजभाषा) , गृह मंत्रालय,
एनडीसीसी-II भवन, 8वां तल,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001, को उनके दिनांक 29 नवम्बर 2021 के पत्र संख्या 11014/01/2020-रा.भा. (निरीक्षण) के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी संयुक्त निदेशक, स.नि.पु.बे. : सादर सूचनार्थ।